न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम— रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर — 58/2018

फूलमोहम्मद पुत्र सदीक जाति काजी निवासी ग्राम बलोद भाखरां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.........वादी

<u>बनाम</u>

1. तहसीलदार, फतेहपुर जिला सीकर
2. पटवारी, पटवार हल्का बलोद छोटी
3. प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बेसवा

..........प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत खाता दुरूस्ती</u>

उपस्थित अधिवक्ता
श्री महीपाल मूंड — वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>निर्णय</u>

दिनांकः—13.05.2019

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमियां खसरा नंबर 214 रकबा 0.5600है0, खसरा नम्बर 217 रकबा 1.5600है0 कुल किता 2 रकबा 2.1200 हैक्टर वाके ग्राम बलोद भाखरां तहसील फतेहपुर में अवस्थित है।

उक्त कृषि भूमियों के नामान्तकण के वक्त राजस्व अधिनस्थ कर्मचारियों की अनदेखी अथवा सहवन से खातेदारी में वादी का नाम मनफूल अंकित हो गया जबकि वादी का वास्तविक नाम फूलमोहम्मद है इसलिये वादी का अपना नाम मनफूल की जगह फूलमोहम्मद दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

वादी पहचान पत्र , आधार कार्ड, राशनकार्ड सहित सभी दस्तावेजों में वादी का नाम फूलमोहम्मद है इसलिये वादी का नाम उक्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में मनफूल की जगह फूलमोहम्मद किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है।

वादी ने प्रतिवादीगण से कई मर्तबा कहा कि उक्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड वादी का नाम दुरूस्त कर फूलमोहम्मद अंकित किया जावे तो प्रतिवादीगण पहते तो आश्वासन देते रहे लेकिन आज से करीब पांच रोज पूर्व स्पष्ट रूप से मना करने पर यह वाद लाना पड़ा यही वाद कारण है।

वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री फरमाया जावे कि वाद पत्र की मद संख्या एक में अंकित कृषि भूमियां खसरा नम्बर 214 रकबा 0.5600है0, खसरा नम्बर 217 रकबा 1.5600है0 कुल किता 2 रकबा 2.1200 हैक्टर वाके ग्राम बलोद भाखरां तहसील फतेहपुर के राजस्व रिकार्ड में खातेदार मनफूल की जगह

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलवी जारी की गयी। प्रकरण में तहसीलदार, फतेहपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार, फतेहपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादी का नाम मनफूल पुत्र सदीक के स्थान पर फूलमोहम्मद पुत्र सदीक दर्ज किया जाना उचित है। वादी के पहचान पत्र, राशन कार्ड व आधारकार्ड आदि दस्तावेजों में वादी का नाम फूलमोहम्मद अंकित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमियां खसरा नम्बर 214 रकबा 0.5600है0, खसरा नम्बर 217 रकबा 1.5600है0 कुल किता 2 रकबा 2.1200 हैक्टर वाके ग्राम बलोद भाखरां तहसील फतेहपुर के राजस्व रिकार्ड में खातेदार मनफूल की जगह फूलमोहम्मद दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा। पर्चा डिकी जारी हो।

(रेंवर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर, सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

निर्णय आज दिनांक 13.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास...............रेनू मीणा (आर.ए.एस..)...

फूलमोहम्मद पुत्र सदीक जाति काजी निवासी ग्राम बलोद भाखरां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.........वादी

<u>बनाम</u>

4. तहसीलदार, फतेहपुर जिला सीकर
5. पटवारी, पटवार हल्का बलोद छोटी
6. *प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बेसवा*

..........*प्रतिवादीगण*

<u>दावा बाबत खाता दुरूस्ती</u>

मुकद्दमा नं.....58.............................सन्...2018..

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू...........मेरे..

व हाजिरी...श्री महीपाल मूंड एडवोकेट.........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......श्री मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि कृषि भूमियां खसरा नम्बर 214 रकबा 0.5600है0, खसरा नम्बर 217 रकबा 1.5600है0 कुल किता 2 रकबा 2.1200 हैक्टर वाके ग्राम बलोद भाखरां तहसील फतेहपुर के राजस्व रिकार्ड में खातेदार मनफूल की जगह फूलमोहम्मद दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा।

निज.........– ....मुबलिग................–..................बाबत........................–......................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह................–.................................फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक..का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....13......माह ......मई...........सन् 2019 को जारी की गई।

दस्तखत.. (रेनू मीणा)

ओहदा.. उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर

मुहर (न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर))

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	–	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महन्ताना वकील	–		महन्ताना वकील	–	
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	
फीस कमिश्नर	–		फीस कमिश्नर	–	
बबत इजराय हुक्मनामा	–		बबत इजराय हुक्मनामा	–	
मुतफरिक	–		मुतफरिक	–	